भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4642

उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019

केन्द्रीय संस्थाओं में छात्रों की मौतें

4642. श्री पी. वेलुसामीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की गिरफ्तारी/आत्महत्या और मौतों की घटनाओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित उक्त मामलों की वर्ष-वार, संस्था-वार मौतों/आत्महत्याओं की पृथक रूप से संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त शिक्षण संस्थाओं में गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) : जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस तरह के डाटा का केंद्रीकृत रूप से रख-रखाव नहीं करता। तथापि, यहॉ पर यह कहना उचित होगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान हैं, जो अपने अधिनियमों और संविधियों, अध्यादेशों तथा उनके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होते हैं और छात्रों के किसी वर्ग के विरूद्ध सभी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने सहित सभी प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम हैं।

तथापि, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) द्वारा प्रदान किया गया डाटा निम्नानुसार है:

वर्ष	जेएनयू		एएमयू	
	आत्महत्याओं की संख्या	मृत्यु की संख्या	आत्महत्याओं की संख्या	मृत्यु की संख्या
2019	01	01	शून्य	शून्य
2018	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017	01	शून्य	01	शून्य

यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) में कैम्पस के भीतर और कैम्पस के बाहर छात्रों की सुरक्षा पर दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, एचईआई को छात्रों द्वारा सामना की जा रही तनाव, व्यग्रता जैसी चुनौतियों और समस्याओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए "छात्र काउंसलिंग प्रणाली" की एक व्यापक व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है।

*****